2506

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश ... SH

- 3 MAR 2011

S 295842

ॐ

<u>लीज डीड अवधि 30 वर्ष</u>

<u>स्टाम्प शुल्क अंकन : 1,000/- रुपये (रुपये एक हजार)</u>

हम कि **शारदा एजूकेशनल एण्ड सोशल वैल्फेयर ट्रस्ट, 77/4, कल्याण नगर, नियर अम्रपाली सिनेमा, गढ रोड, मेरठ द्वारा सचिव कुणाल मित्तल पुत्र श्री राकेश** कुमार मित्तल निवासी 130/1, विजय नगर, प्रकाशन मार्ग, वैस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ ....**प्रथम पक्ष (सम्पत्ति स्वामी/लीजदाता)**

पक्ष में

दयानन्द **विद्यापीठ कालिज आफ लॉ अध्यक्ष डा0 अंकित** गर्ग **पुत्र श्री रामगोपाल** गर्ग निवासी **77/4, कल्याण नगर, गढ रोड, मेरठ** ....द्वितीय पक्ष (लीजगृहित)

जोकि निम्नसीमित व मापानुसार भूमि मय आराजी तहती क्षेत्रफल 1550 वर्गमीटर मिनजुमला खसरा संख्या 127/1, स्थित ग्राम मौहम्मद मुरादपुर उर्फ शोल्दा, परगना

क्रमांक 79

स्टाम्प का मूल्य अंकन 1000 (रु. एक हजार)

खरीददार का नाम दयानन्द कालिज ऑफ ला 77/4 कल्याणनगर मेरठ

पता

लेखपत्र का प्रकार एव मूल्य

एवं स्टाम्प बेचने का प्रयोजन

स्टाम्प विक्रेता का नाम

लाईसेन्स संख्या / वर्ष

विक्रय स्थान का नाम

विक्रय का दिनांक 7/3/2011

MT No.

हीरा सक्सैना

किठौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ की प्रथम पक्ष ट्रस्ट/सोसायटी मालिक व स्वामी है। उक्त भूमि को प्रथम पक्ष सोसायटी लेखपत्रों द्वारा रिक्त भूमि किसी भी व्यकित/संस्था/कॉलिज आदि को लीज पर देने की अधिकारी है और प्रथम पक्ष सोसायटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके उक्त भूमि को लीज पर देने के लिए **कुणाल मित्तल पुत्र श्री राकेश कुमार मित्तल निवासी 130/1, विजय नगर, प्रकाशन मार्ग, वैस्टर्न कचहरी रोड, मेरठ** सचिव उक्त ट्रस्ट/सोसायटी को अधिकृत किया है और प्रथम पक्ष की ओर से उक्त सम्पत्ति आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है तथा द्वितीय पक्ष ने उकत सम्पत्ति को उक्त कॉलिज के लिए शिक्षण कार्य हेतु तीस वर्ष के लिए लीज पर लेने की ख्वाईश प्रथम पक्ष से की है तथा प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तो के आधीन उक्त सम्पत्ति को तीस साल के लिए द्वितीय पक्ष को लीज पर देना निश्चित किया है।

अत: दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी निम्न धाराओं के पाबन्द रहेगे।

1. यह कि लीज दिनांक 05-03-2011ई0 से प्रारम्भ हो गयी है तथा लीज का प्रत्येक वर्ष की 5 मार्च से शुरू होकर अगले वर्ष 4 मार्च को पूरा हुआ करेगा तथा लीज साल दर साल तीस साल तक चलती रहेगी।
2. यह कि उक्त सम्पत्ति का लीजरेन्ट दोनों में अंकन 3,000/- रूपये प्रतिवर्ष तय पाया है, जिसे द्वितीय पक्ष प्रतिवर्ष प्रथम पक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे, तथा उक्त लीज की अवधि तीस वर्ष तक रहेगी, तथा प्रत्येक साल मार्च माह के अन्तिम सप्ताह तक द्वितीय पक्ष हर हालत में लीज रेन्ट अदा कर दिया करेगे।

पट्टा विलेख (30 वर्ष)

प्रतिफल	मालियत	औसत वार्षिक किराया	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
		3,000.00	90.00	20	110.00	800

श्री शारदा एजू0एण्ड सोशल बेल्फे0ट्रस्ट द्वारा सचिव कुणाल मित्तल

पुत्र श्री राकेश कुमार मित्तल

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी 130/1 विजय नगर प्रकाशन मार्ग बैस्टर्न कचहरी रोड

अस्थायी पता -

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/3/2011 समय 1:47

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक

मवाना

5/3/2011

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता

श्री शारदा एजू0एण्ड सोशल बेल्फे0ट्रस्ट द्वारा
सचिव कुणाल मित्तल
पुत्र श्री राकेश कुमार मित्तल
पेशा अन्य
निवासी 130/1 विजय नगर प्रकाशन मार्ग बेस्टर्न
कचहरी रोड मेरठ

पट्टा गृहीता

श्री दयानन्द विद्यापीठ कालिज आफ लॉ अध्यक्ष डा0
अंकित गर्ग
पुत्र श्री रामगोपाल गर्ग
पेशा डाक्टर
निवासी 77/4 कल्याण नगर गढ रोड मेरठ

3. यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त सम्पत्ति पर बजरिये पटटेदार (लीजग्रहिता) अपना कब्जा दिनांक 05-03-2011 को कर लिया है तथा द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करने व अपनी आवश्यकतानुसार व इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति को इस्तेमाल करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षण कार्य करने उसमें कोई भी कोर्स कराने या अन्य शिक्षण कार्य करने, सम्पत्ति में स्कूल, कालिज चलाने अथवा सामाजिक कार्य आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेगे तथा द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि में डिग्री कालिज को चलाने हेतु उक्त सम्पत्ति को किराये पर लिया है।

4. यह कि लीज 30 वर्ष की होगी तथा उक्त अवधि में कोई लीज रेन्ट नही बढ़ाया जायेगा।

5. यह कि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीय पक्ष की लीज के कारण व द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होगे उन्हे ,तीय पक्ष ही अदा किया करेगे, तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षण कार्य व स्कूल व कालिज आदि के सम्बन्ध में कोई भी नव निर्माण कराये, कनेक्शन नल व बिजली का ले, व टैक्स अदा करें, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

6. यह कि लीज की अवधि पूरी होने पर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर अपने द्वारा किये गये निर्माण को उठा लेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी तथा तीस साल अवधि पूरी होने पर किरायानामा स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री योगेश कुमार शर्मा एड0 मेरठ

पेशा वकालत

निवासी

व श्री विकास गर्ग एड0 मेरठ

पेशा वकालत

निवासी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

प्रथमपक्ष ने पहचान में आई कार्ड सलग्न किया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
मवाना
5/3/2011

7. यह कि लीज की अवधि में अन्तर्गत धारा 108 बी0 जे0 ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार द्वितीय पक्ष लीज गृहिता को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक या संस्था को भूमि के लीज राईट व निर्माण के स्वामित्व राईटस को मोरगेज करें, इसके लिये प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

8. यह कि लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष को जब तक बैंक या वित्तीय संस्था का ऋण अदा नही हो जायेगा लीज समाप्त करने का अधिकार नही होगा, अर्थात लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष किसी भी सूरत में लीज समाप्त नही करेगे।

9. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कालेज चलाने के स्वीकृति सम्बन्धी समस्त विभाग से लेने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभायेगे तथा हर प्रकार की कार्यवाही कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

10. यह कि उपरोक्त धाराओं का दोनो पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेगे अतः यह किरायानामा अवधि तीस वर्ष लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

सीमायें उक्त सम्पत्ति

पूरब	:	खेत अन्य व्यक्ति
पश्चिम	:	रास्ता
उत्तर	:	खेत अन्य व्यक्ति
दक्षिण	:	शेष सम्पत्ति लीजदाता

पट्टा दाता

Registration No.: 2506 Year: 2,011 Book No.: 1

0101 **शारदा एजू0एण्ड सोशल वैल्फे0ट्रस्ट द्वारा सचिव कुणाल मित्तल**

राकेश कुमार मित्तल

130/1 विजय नगर प्रकाशन मार्ग बैस्टर्न कचहरी रोड मेरठ -

अन्य

प्रथम पक्ष के बाये हाथ की उंगलियों के चिन्ह :-

प्रथम पक्ष के दाये हाथ की उंगलियों के चिन्ह :-

पट्टा गृहीता

Registration No. : 2506 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 **दयानन्द विद्यापीठ कालिज आफ लॉ अध्यक्ष डा0 अकित गर्ग**

रामगोपाल गर्ग

77/4 कल्याण् नगर गढ रोड मेरठ -

डाक्टर

द्वितीय पक्ष के बाये हाथ की उंगलियों के चिन्ह :-

द्वितीय पक्ष के दाये हाथ की उंगलियों के चिन्ह :-

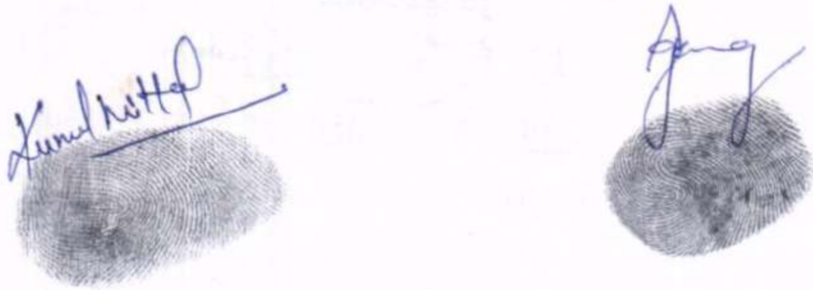

SH KUMAR SHARMA
ADVOCATE
CIVIL COURT, MEERUT

VIKAS GARG
ADVOCATE
Civil Court Meerut

तहरीर तारीख 05-03-2011 मसविदा श्री विकास गर्ग, एडवोकेट, मेरठ।

VIKAS GARG
ADVOCATE
Civil Court Meerut

आज दिनांक **05/03/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. 2707

पृष्ट सं. **339** से **350** पर क्रमांक 2506

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक

मवाना

5/3/2011